(70)

न्यायालय- मान्नीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

निग - 1237 - II - 16

1. विजय कुमार गुप्ता तनय श्री अमृतलाल गुप्ता जाति बानिया
2. अजय कुमार गुप्ता तनय श्री सुरेश कुमार गुप्ता जाति बानिया
3. राजीव गुप्ता तनय श्री हरिप्रसाद गुप्ता जाति बानिया
   सभी निवासी- ग्राम सेमरिया, तहसील गोपदबनास
   जिला- सीधी म0प्र0
4. रमाकान्त गुप्ता तनय श्री रामसिया गुप्ता, जाति बानिया
   निवासी- महसांव, तहसील गुढ़, जिला- रीवा म0प्र0

.... आवेदकगण.

// बनाम //

मध्य प्रदेश शासन .... अनावेदक.

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता. 1959

यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजनगर, जिला छत्त छतरपुर म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्रमांक-45/अपील/ 2014-15 पक्षकार- विजय कुमार वगैरा बनाम हे म0 प्र0 शासन में पारितआदेश दिनांक-08.02.2016 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

॥ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ॥

1. यह कि, आवेदकगण भूमि खसरा नं. 84, 88, 770 किता- 03 मौजा बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक- 05.02.2011 को डोलन पिता प्रतापसिंग, अमरपाल सिंग वगैरा से क्रय की थी। आवेदकगण की नामांतरण कार्यवाही विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया जो विचारण न्यायालय ने निरस्त कर दिया, उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहां

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक /237 – II /2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
30.5.16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक ४५/२०१४-१५ अपील में पारित आदेश दिनॉक ८-२-१६ के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ आवेदकगण के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषगण के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदकगण ने मौजा बरेठी तहसील राजनगर स्थित भूमि सर्वे कमांक ८४, ८८, ७७० कुल किता ३ कुल रकबा ३.७१८ हैक्टर में से अॅश भाग ०.२१२ हैक्टर रिकार्डेड भूमिस्वामी डोलन प्रताप सिंह, अमर पाल सिंह उर्फ रतनसिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक ५-२-११ से क्रय की । क्रय उपरांत केतागण ने विक्रय पत्र के आधार पर नायव तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर को नामान्तरण का आवेदन दिया , जिस पर से प्रकरण कमांक १११/२०१३-१४ पंजीबद्व हुआ एंव नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक ६-९-१४ से नामान्तरण आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, राजनगर के समक्ष अपील कमांक ४५/२०१४-१५ प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक ८-२-१६ से अवधि वाधित मानकर निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत हुई है। ४/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील मेमो के साथ प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-५ के आवेदन के	

तथ्यों को सही होना नहीं माना है। आवेदकगण ने नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक ६-९-१४ के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक १३-११-१४ को अपील प्रस्तुत की है अर्थात अपील केवल लगभग ६७ दिवस के अंतर से है जबकि इस हेतु समयावधि ३० दिवस है अर्थात ३७ दिवस के विलम्ब को अनुविभागीय अधिकारी ने क्षमा नहीं किया है। मात्र ३७ दिवस का विलम्ब अनुचित विलम्ब नहीं माना जा सकता। रमेश विरूद्ध बैजु २००४ रा०नि० १०७ का दृष्टांत है कि हितबद्ध व्यक्ति को सूचना न होने से उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया। अपील अवधि होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। आवेदकगण व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-५ के आवेदन पर यही स्थिति है क्योंकि नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक ६-९-१४ की सॅसूचना आवेदकगण को नहीं दी है। ऐसी स्थिति में विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है।

७/ नायव तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक १११/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ६-९-१४ के अवलोकन से स्थिति यह है कि उन्होंने आवेदकगण व्दारा मौजा बरेठी तहसील राजनगर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक ८४, ८८, ७७० कुल किता ३ में से अंश रकबा ०.२१२ हैक्टर रिकार्डेड भूमिस्वामी डोलन प्रताप सिंह, अमर पाल सिंह उर्फ रतनसिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक ५-२-११ से क्रय करने के उपरांत नामांत्रण की मांग की है और इस मांग पत्र को नायव तहसीलदार ने इस आधार पर अमान्य किया है कि भूमि एनटीपीसी परियोजना हेतु अधिग्रहीत है। जब भूमि के रिकार्डेड भूमिस्वामी विक्रेतागण है जिन्होंने भूमि का विक्रय आवेदकगण के हित में किया है - पंजीकृत विक्रय पत्र की बैधता को चुनोती देने हेतु राजस्व न्यायालय सक्षम नहीं है पंजीकृत विक्रय पत्र पर से नामान्तरण किया जावेगा। जहां तक भूमि एनटीपीसी परियोजना हेतु अधिग्रहीत होने का प्रश्न है ? भूमि अधिग्रहीत होने के वाद जो भी रिकार्डेड भूमिस्वामी रहेंगे - अधिग्रहण के वाद मुआवजे के वितरण पर मुआवजा पाने के पात्र रहेंगे जिसके कारण विचाराधीन विक्रय

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1237 –II /2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि० के हस्ता.
	पत्र से आवेदकगण का नामान्तरण किये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है। ६/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक ४७/२०१४-१५ अपील में पारित आदेश दिनॉक ८-२-१६ एंव नायव तहसीलदार बसारी तहसील राजनगर व्दारा प्रकरण कमांक १११/२०१३-१४ में पारित आदेश दिनांक ६-९-१४ त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा आवेदकगण का मौजा बरेठी तहसील राजनगर स्थित भूमि सर्वे कमांक ८४, ८८, ७७० कुल किता ३ कुल रकबा ३०७१८ हैक्टर में से अॅश रकबा ०.२१२ हैक्टर पर पंजीकृत विकय पत्र दिनांक ५-२-११ से कय की गई भूमि पर नामान्तरण करना स्वीकार किया जाता है। सदस्य	